न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 32 / 2000 (जीसीएमएस न0 2013 / 00352)

गिरधारीलाल

बनाम

ज्ञानाराम वगैरह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सी.पी.सी.

निर्णय

निर्णय दिनांक 06.09.2022

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय के आदेश दिनांक 03.08.2000 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर अनावेदक नम्बर 1 के हिस्से में दर्ज भूमि में से 1/5 हिस्से में आवेदक को काश्त करने से अनावेदकगण नहीं रोके एवं विवादित आराजियात का बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें। परन्तु अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 ने साजिस कर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुये उपरोक्त विवादित भूमि ख0न0 55 रकबा 18 बीधा का हस्तान्तरण दिनांक 06.09.2000 एवं दिनांक 07.09.2000 को कर दिया। जिसकी आड़ में प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि में बाधा डालने की कोशिश कर रहे है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 को न्यायालय आदेश की अवहेलना का दोषी मानते हुये सिविल जेल भेजा जावे तथा विवादित भूमि को कुर्क किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में उजर एतराज कोई हो तो, निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह दर्ज नहीं किया गया है कि अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 द्वारा क्या कार्य किया है। जवाब देहन्दा के कहीं पर भी कोई हस्ताक्षर या बयानामा करवाया हो कुछ भी दर्ज नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के खिलाफ कोई वाद कारण पैदा नहीं होता है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के खिलाफ हुक्म उदुली का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि गिरधारी ज्ञानाराम का दत्तक पुत्र है ज्ञानाराम पाबन्द था उसके बावजूद दिनांक 06.09.2000 व 07.09.2000 को विक्रय पत्र तस्दीक कराये है। अतः प्रार्थना पत्र हुक्म उदूली स्वीकार फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की ओर से कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र में 2 व 3 के द्वारा किस बात की अवज्ञा की गई है, इसका उल्लेख नहीं है। प्रार्थना पत्र में विक्रय कराया जाना अंकित किया है हमारे द्वारा ना ही जमीन क्रय की गई है ना ही विक्रय की गई है। अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय दिनांक 03.08.2000 में अनावेदक संख्या 1 को ही पाबन्द किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

06/9/22

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय दिनांक 03.08.2000 में प्रार्थी के हक हकुक 1/5 हिस्से की भूमि तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिसमें भी अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु पाबन्द किया गया है अर्थात निर्णय दिनांक 03.08.2000 से अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के 1/5 हिस्से तक पांबन्द है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 नहीं। अप्रार्थी संख्या 1 का देहान्त हो चुका है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 का देहान्त होने से उसके विरूद्व हुक्म उदूली का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरूद्व हुक्म उदुली का प्रार्थना पत्र न्यायिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

तमाम साक्ष्य सबूतों, दस्तावेजात के प्रकाश में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 सी.पी. सी. खारीज किया जाता है। प्राथिना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/9/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर